

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा  
पीठासीन अधिकारी:- चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण संख्या 90/2020 वाद  
GCMS NO. 2020/00205

1. श्रीमती सुमित्रा पत्नी ऋषभ कुमार गोखरू, जाति जैन, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
2. दीपाली पुत्री ऋषभ कुमार गोखरू, जाति जैन, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

- वादीगण

//बनाम//

1. भंवर सिंह पिता सरदार सिंह राजपूत, आयु वयस्क, निवासी डलां उर्फ किशनपुरा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।


- प्रतिवादीगण

वाद

अन्तर्गत धारा 53, रा.का.अधि.

श्री नरेन्द्र वैष्णव, अधिवक्ता वादीगण उपस्थित

प्रकरण में दिनांक 28.12.2020 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये गये थे कि विवादित भूमि मौजा डलां उर्फ किशनपुरा की खाता संख्या 74 की आराजी नं. 410, 411 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9500 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 75 की आराजी नं. 405, 409, 412 कुल किता 3 कुल रकबा 3.9800 हैक्टेयर में वादीगण का हिस्सा संयुक्त रखते हुए फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक/राजस्व/2021/44, दिनांक 13.01.2021 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जो माफिक आदेशानुसार है। अतः वाद वादीगण कतई डिक्री किया जाता है। प्रश्नगत आराजीयात का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है-



1- श्रीमती सुमित्रा पत्नी ऋषभ कुमार गोखरू, जाति जैन 1/2 तथा दीपाली पुत्री ऋषभ कुमार गोखरू जाति जैन 1/2 निवासी निम्बाहेड़ा खातेदार रहन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा निम्बाहेड़ा के रहेगा-

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	लगान रूपये में
411 सम्पूर्ण	0.3800	1.90
410 में से दक्षिणी भाग	0.4500	2.25
412 में से दक्षिणी भाग	1.6350	8.17

कुल किता 3 कुल रकबा 2.4650 हैक्टेयर कुल लगान 12.32 रूपये

2- श्री भंवर सिंह पिता सरदार सिंह राजपूत, निवासी डलां उर्फ किशनपुरा खातेदार, रहन बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक, शाखा निम्बाहेड़ा के रहेगी:-

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	लगान रूपये में
405 सम्पूर्ण	0.5700	14.5350
409 सम्पूर्ण	0.4300	10.9650
410 में से उत्तरी भाग	0.1200	0.60
412 में से उत्तरी भाग	1.3450	6.73

कुल किता 4 कुल रकबा 2.4650 हैक्टेयर कुल लगान 32.83 रूपये

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 19.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(चन्द्रशेखर भण्डारी)  
उपखण्ड अधिकारी,  
निम्बाहेड़ा